तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज
11/02/23	पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत बेंच - न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुडामालानी पेश हुई। पक्षकारान व कर्ता [illegible] को सुना गया। आदेश पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। आदेश की पालनार्थ तामील जारी हो। पालना प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली निर्णित होकर शामिल दफ्तर हो।

अध्यक्ष
लोक अदालत
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
गुड़ामालानी (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.03.21 16:47:07 IST
Reason: SelfAttested

राष्ट्रीय लोक अदालत – 11.02.2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प– न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुड़ामालानी

प्रकरण संख्याः 15/2023

प्रार्थीगण :–

1. दीपाराम पुत्र जोराराम
   जाति जाट निवासी नाईयों की ढाणी अणखिया तहसील नौखडा जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. तिलोकचन्द पुत्र सोना वगैरा (11)
   जाति जाट / मेगवाल निवासी नाईयों की ढाणी तहसील नौखडा जिला बाड़मेर

18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नौखडा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 11/2/23

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प–गुड़ामालानी पेश हुई हमने प्रार्थी के अधिवक्ता श्री चिमनसिंह चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अंतिम चौसाला आधार सम्वत् 2072–2075 जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2021) से स्थाई सरहद मौजा नाईयों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 27, 27/1 रकबा 8.2232, 8.2151 हैक्टेयर का अवलोकन किया, जिसमें प्रार्थी का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ [illegible] बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी [illegible] चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि [illegible] सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रत[illegible] नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.03.21 16:47:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गुडामालानी

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नौखडा को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि सरहद मौजा नाईयों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 27, 27/1 रकबा 8.2232, 8.2151 हैक्टेयर के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार नौखडा को 1000/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार नौखडा को थानाधिकारी पुलिस थाना RGT रावलीनाडी नगर से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार नौखडा बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 11/02/23 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गुडामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.03.21 16:47:07 IST
Reason: SelfAttested